

पहली बार श्रमिकों के लिये ऐतिहासिक योजनाएं

योजनाओं के लाभ के लिये श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से



श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री













<u>असंगठित श्रमिक</u>-चिन्हांकन एवं पंजीयन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003

असंगठित मजदूर - परिभाषा

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 2(द) के अनुसार -

'असंगठित कर्मकार'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में लगा हुआ है, चाहे मजदूरी के लिए हो

या बिना मजदूरी के लिए या जो ऐसे अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में स्वयं या उसकी मर्जी से केवल परिवार श्रम के साथ कार्य के किसी ऐसे स्थान में कार्य करता है/करती है जिसमें उसका घर, खेत या कोई सार्वजनिक स्थान सम्मिलित है जो कि अन्य के नियंत्रणाधीन हो या न हो तथा

इसमें सम्मिलित हैं:-

- (एक) ऐसा व्यक्ति जो गृह आधारित कर्मकार या आकस्मिक अथवा संविदा कर्मकार या स्व-नियोजित कर्मकार है, और
- (दो) ऐसा व्यक्ति जिसे किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा कच्चा माल उसे परिवर्तित करने या कोई उत्पाद बनाने या किसी कार्य के लिए दिया जाता हो या फेरी लगाकर या गली में बेचने के लिए तैयार माल दिया जाता है या चल या घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के लिए यान, औजार या मशीनरी प्रदान की जाती हो,

किन्त् इसमें किसी नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नही है।

- कृषि में नियोजन जिसमें सम्मितित है उद्यानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण.
- 2. दुग्ध-उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन.
- 3. मछलीपालन में नियोजन.
- 4. वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मितित है मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप.
- 5. रेशम-उत्पादन में नियोजन

- 1. लेटराइट, गोलाश्म, मृतिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिट्टी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया उत्खनन में नियोजन
- 2. पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन
- 3. पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन

- 1.(क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं
 - (ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार,में लदाई-उतराई, ढेर लगाने (स्टॅकिंग), पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संयुक्त कार्य शामिल हैं, मे नियोजन
- 2. सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उतराई से संबंधित तथा कोई अन्य आन्षंगिक या संसक्त प्रचालन में नियोजन.
- 3. गोदाम में खाद्यान की लदाई, उतराई तथा वहन करना खाद्यान्नों की छटाई तथा सफाई, खाद्यान्नों का बोरों में भरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उससे तथा आनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में, के संबंध में नियोजन.

- 1. खादी, हथकरघा (हैंडलूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन
- 2. कपड़े का विरंजित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथा छपाई में नियोजन
- 3. सिलाई में नियोजन

- 1. सुगन्धित तीलियां (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन.
- 2. कढ़ाई, स्मॉिकंग तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन
- 3. पापड़, अचार, जेम्स, जेली, अन्य परिरक्षित खाद्य पदार्थ, पिसे मसाले तथा वासक बनाने में नियोजन.
- 4. खाना बनाने में नियोजन
- 5. खिलौने बनाने में नियोजन

- चमड़े के शोधन तथा प्रसंस्करण में नियोजन.
- 2. जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन
- 3. सफाई तथा झाड़्-बहारू सेवाओं में नियोजन.

- 1. रैग-पिकिंग में नियोजन
- 2. दरवाजे-दरवाजे (द्वार-द्वार पर) पुराने समाचार-पत्रों (रद्दी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन
- 3. बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेण्डर) के रूप में नियोजन

- 1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार
- 2. साइकिल-रिक्शा, आटो-रिक्शा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो ''मोटर परिवहन कर्मकार'' की श्रेणी में नहीं आता
- 3. आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन
- 4. प्रायवेट स्रक्षा सेवाओं में नियोजन
- 5. प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन
- 6. लकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन
- 7. बर्तन बनाने में नियोजन
- 8. कारीगर (शिल्पी) जैसे लुहार, बढ़ई, गारा बनाने, चाक बनाने (कुम्हार) आदि में नियोजन
- 9. दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन
- 10. आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन
- 11. डब्बे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन

असंगठित मजदूर

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 14(1) के अनुसार

14.(1) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो कि अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन प्रस्विधा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित एक या अधिक मानदंड विहित कर सकेगी जिसकी पूर्ति न होने पर असंगठित कर्मकार सदस्य के रूप में रजिस्टीकरण हेत् अपात्र हो जायेगाः-

- (एक) भूमि के खातों का अधिकतम आकार,
- (दो) परिवार की अधिकतम आय:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार राज्य में भिन्न-भिन्न प्रवर्गों की या भिन्न-भिन्न भागों में स्थित भूमियों के लिए भूमि के खाते के भिन्न भिन्न अधिकतम आकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी

अपात्रता

- किसी सरकारी, निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिसे सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्य निधि आदि प्राप्त हो रहें है।
- ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है।
- 3. इंकम टैक्स दाता
- 4. स्व-नियोजित व्यक्ति के परिवार के सदस्य।

अभियान- तीन चरणों में

प्रथम चरण

- जिला स्तरीय टीम एवं DIO का प्रशिक्षण 21/03 विडियो कांफ्रेंस से
- जनपद / नगरीय निकाय पर प्रशिक्षण 26/03 28/03 तक

दूसरा चरण [01/04-15/05 तक]

- विशेष केम्प का आयोजन
- केम्प में लिक्षित व्यक्तयों का चिन्हांकन/ आवेदन पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर इंद्राज करना

तीसरा चरण

• पंजीयन

आवेदन पत्र को पोर्टल परइंद्राज करना

चिन्हांकन पश्चात आवेदन पत्रको पोर्टल पर इंद्राज करने का कार्य पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा

- श्रमिक सेवा ऐप के माध्यम से किया जायेगा.
- श्रीमिक सेवा पोर्टल पर भी सुविधा उपलब्ध

- ऐप पर पंचायत/वार्ड के 18 से 60 आयुवर्ग के लक्षित व्यक्तियों की सूची डाउनलोड की जा सकेगी
- आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करना होगा
- लक्षित व्यक्तियों के नियोजन एवम <u>पंजीयन</u> हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ऐप पर प्रविष्ट किया जावेगा.

श्रमिक सेवा मध्य प्रदेश 1.0 - 17/03/2018



श्रमिक सेवा एप्प

मध्य प्रदेश

http://shramiksewa.mp.gov.ii





अपडेट मास्टर डाटा



लक्षित समूह का डाटा डाउनलोड करें



मेरे गाँव \ वार्ड



लक्षित परिवार



चिन्हांकन करें



चिन्हांकन डाटा अपलोड करें



होम



चिन्हांकन

पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी एप्प पर लॉगिन कर लिक्षित समूह का डाटा अपने

मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे



आवंटित ग्रामों की सूची

1:- Kharpi (125518)

2:- Nandni (125519)

3:- Narela (125520)





श्रमिक सेवा मध्य प्रदेश 1.0 - 17/03/2018


लक्षित परिवार

Kharpi



- 1 Bhojram , (27980060), 70, 70 Kharpi,Nandni, Janpad Panchayat, PHANDA GRAMIN, District BHOPAL
- 2 Ramcharan Meena, (27993047), 32, 32 Kharpi, Nandni, Janpad Panchayat, PHANDA GRAMIN, District BHOPAL
- 3 Rbbulal , (27995751), 43/3, 43/3 Kharpi,Nandni, Janpad Panchayat, PHANDA GRAMIN, District BHOPAL
- 4 Gyan Singh, (27998443), 13, 13 Kharpi, Nandni, Janpad Panchayat, PHANDA GRAMIN,





9 अंकों की समग्र सदस्य आई.डी. डालें

समग्र सदस्य आई.डी.

132981065




जानकारी देखें


नाम	Mstan
समग्र आई.डी.	132981065
परिवार आई.डी.	28095356
पिता का नाम	
पता	28/2, 28/2 Kharpi,Nandni, Janpad Panchayat, PHANDA GRAMIN, District BHOPAL
जन्म तिथी	01/01/1986
जेंडर	Male



प्रमुख व्यवसाय / नियोजन की जानकारी प्राप्त कर ऐप में इन्द्राज कर सेव करना



 एप्प के माध्यम से आवेदक का फोटो लेना होगा। यह फोटो पंजीयन कार्ड में अंकित होगा



आवेदक की सभी जानकारी को एप्प पर इंद्राज करने के बाद डाटा को श्रमिक सेवा पोर्टल पर परिक्षण एवं पंजीयन हेतु अपलोड करना।





मध्य प्रदेश श्रमिक सेवा पोर्टल

श्रमिकों के पंजीयन एवं प्रबंधन हेत् एकीकृत प्रणाली







ोस

आवेदन पत्र प्रबंधन पंजीयन प्रबंधन

HOME

ABOUT US

MISCELLANEOUS

CONTACT US

LATEST NEWS

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन, प्रबंधन, ट्रैकिंग एवं उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलीकृत रूप से सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत पोर्टल.







योजना आवेदन प्रबंधन योजना बाभ प्रबंधन ई-पेसेंट प्रबंधन



HON'BLE MINISTE



श्री शिवराउ

मा. म्ख्य

मध्य प्रदेश

डी.एस.सी प्रबंधन



सी.एम.एस प्रबंधन



लॉगिन करें



श्री बालकृष्ण जी पाटीदार

मा. राज्य मंत्री - श्रम (स्वतंत्र प्रभार) मध्य प्रदेश शासन



श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत

मा, अध्यक्ष- असंगठित श्रमिक कल्याण मंडल मध्य प्रदेश शासन

ABOUT US

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन, प्रबंधन, ट्रैंकिंग एवं उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलीकृत रूप से सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत पोटल,


Read more 0

45-44

पोर्टल पर उपलब्ध मेनू आइटम्स



पंचायत द्वारा पात्र असंगठित श्रमिको से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा।



तीसरा चरण -चिन्हांकित श्रमिकों का पंजीयन

- पोर्टल पर अपलोड किये गए आवेदन जनपद / नगरीय निकाय के डेशबोर्ड पर परिक्षण / पंजीयन हेतु प्रदर्शित होंगे.
- प्रकरण का परिक्षण कर पंजीयन किया जाएगा.
- पंजीयन की जानकारी एस.एम.एस. एलर्ट / सीएम ध्विन संदेश के माध्यम से भी दी जावेगी.
- श्रमिक पंजीयन कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा.

होम	श्रमिकों का नवीन पंजीयन
	जोड़ें : श्रमिकों का चिन्हांकन करें
317	जानकारी दर्ज/अपडेट करें — श्रमिकों की जानकारी को दर्ज/अपडेट करें
सदर	नियोजन दर्ज/अपडेट करें — श्रमिकों की नियोजन को दर्ज/अपडेट करें
	स्थिति जांचे — दर्ज/अपडेट जानकारी की अद्यतन स्थिति जांचे
	अनुशंसा करें — श्रमिकों पंजीयन व कार्ड जेनरेट करने की अनुशंसा करें
	श्रमिकों की सूची व स्टेटस देखे – नवीन पंजीयन की स्थिति देखे व कार्ड को डाउनलोड करें



असंगठित श्रमिकों की नवीन पंजीयन हेतु अनुसंशा करे

सदस्य खोजें

जिला: सीधी

अमिलिया

स्थानीय निकाय: जनपद पंचायत, सिंहावल

- Select -

	परिवार आईडी	सदस्य आईडी	नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	मोबाइल	आधार नंबर	नियोजन की जानकारी	क्या फोटो है	क्या वित्तीय खाता है	क्या सदस्यों की जानकारी है	कार्ड हेतु अनुसंशा
1	27272350	129656984	ANNU VISHWAKARMA	48	Female		8852455438		कार्य दिवस : 365	✓	√	7 सदस्य	/

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्ड हेतु अनुशंसा किये गए सदस्यों की सूची

सदस्य खोजें

जिला: सीधी

ग्राम-पंचायत: अमिलिया

स्थानीय निकाय: जनपद पंचायत, सिंहावल

गॉव:

- Select -

	परिवार आईडी	सदस्य आईडी	नाम	आयु	िलंग	पिता का नाम	मोबाइल	आधार नंबर	नियोजन	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	फोटो	कार्ड बनाये
1	27272350	129656984	ANNU VISHWAKARMA	47	Female		8852455438			UBIN0539627	396202010013480		कार्ड बनाये

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों कार्ड योजना प्रबंधन प्रणाली

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्ड हेतु अनुशंसा किये गए सदस्यों की सूची

सदस्य खोजें

जिला: सीधी

ग्राम-पंचायत: अमिलिया

स्थानीय निकाय: जनपद पंचायत, सिंहावल

ॉव : - Select -

	परिवार आईडी	सदस्य आईडी	नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	मोबाइल	आधार नंबर	नियोजन	फोटो	अनुशंसा दिनांक	कार्ड जेनरेट दिनांक
1	27272350	129656984	ANNU VISHWAKARMA	47	Female		8852455438				12 Mar 2018	12 Mar 2018

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्ड हेतु अनुशंसा किये गए सदस्यों की सूची

सदस्य खोजें

जिला: सीधी

ग्रम-पंचायतः अमिलिय

स्थानीय निकाय: जनपद पंचायत, सिंहावल

ॉव :

- Select -

	परिवार आईडी	सदस्य आईडी	नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	मोबाइल	आधार नंबर	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	फोटो	कार्ड डाउनलोड करें
1	27272350	129656984	ANNU VISHWAKARMA	47	Female		8852455438		UBIN0539627	396202010013480	100	डाउनलोड करें

हितग्राही के परिवार के सदस्यों का विवरण :

화.	सदस्य का नाम	जन्म तिथि	सम्बन्ध
1	Triveni Vishwakarma	01/01/1963	पति
2	Mangireeya Viswakarma	18/09/1966	पुत्री
3	Annu Vishwakarma	15/03/1970	स्वयं
4	Vikash Vishwakarma	06/02/2008	पुत्र
5	Omaprakash Vishwakarma	22/10/2010	पुत्र
6	Durga Vishwakarma	07/05/2012	पुत्री
7	Akash Vishwakarma	14/01/2017	पुत्र

हितग्राही के परिवार के सदस्यों का विवरण :

क्र.	पंजीयन / नवीनीकरण दिनाँक	प्रकृति	अवधि
1	12/03/2018	Fresh	12/03/2018 -12/03/2019



मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

पंजीयन कार्यालय: जनपद पंचायत, सिंहावल हितग्राही पंजीयन एवं परिचय पत्र



प्रथम पंजीयन दिनाँक -12/03/2018



पंजीयन क्रमांक 129656984

समग्र आईडी: 129656984

समग्र परिवार आईडी : 27272350

हितग्राही का नाम: Annu Vishwakarma [Annu Vishwakarma]

पिता/पति का नाम:

लिंग: महिला

आधार क्रमांक :

जन्मतिथि/आयु: 15 Mar 1970 (47 वर्ष)

मोबाइल नंबर : XXXXX5438

निवास का वर्तमान पता: House No.-97, Amiliya ग्राम पंचायत : अमिलिया गांव

: अमिलिया

योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ का विवरण

큙 .	हितलाभ योजना का नाम	स्वीकृति दिनांक .	राशि	आईएफएससी	खाता न.	वितरण दिनांक
1						

THANK YOU